रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2019/वैशाख 24, 1941
No. 142] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2019/VAISAKHA 24, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2019

सं. 8/2015–2020

विषयः प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.01 (ख) में संशोधन।

फा.सं.01/61/180/84/एएम19/पीसी-3.—विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 3.01 (ख) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

मौजूदा पैरा 3.01(ख)	संशोधित पैरा 3.01(ख)
(ख) निर्यात (ई-कामर्स का प्रयोग करते हुए, कूरियर अथवा विदेशी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से माल के निर्यात के अलावा) पर एमईआईएस के तहत प्रतिफल का दावा करने के लिए आवेदन-पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाईट http://dgft.gov.in पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को एएनएफ 3क में डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। संबंधित पोतलदान बिलों और ईबीआरसी को ऑन लाइन आवेदन-पत्र के साथ लिंक करना होगा।	(ख) निर्यात (ई-कामर्स का प्रयोग करते हुए, कूरियर अथवा विदेशी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से माल के निर्यात के अलावा) पर एमईआईएस के तहत प्रतिफल का दावा करने के लिए आवेदन-पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाईट http://dgft.gov.in पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को एएनएफ 3क में डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। संबंधित पोतलदान बिलों और ई-बीआरसी को ऑन लाइन आवेदन-पत्र के साथ लिंक करना होगा। **तथापि, यदि** **i. ई-बीआरसी भारतीय रुपये में जेनरेट किया गया है और भुगतान विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.52(ख) के अन्तर्गत है तो संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के समक्ष संबंधित बैंक से एक पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें इसकी पुष्टि हो कि भुगतान वोस्ट्रो तंत्र के**

	माध्यम से प्राप्त हुआ है, अथवा **i.** पोतलदान उन देशों को किया गया है जो ओएफएसी सूची में है और संबंधित बैंक द्वारा ईबीआरसी जेनरेट नहीं किया जा सका, इस आशय की एक घोषणा विदेशी इनवार्ड भुगतान प्रमाण पत्र/विवरण आदि जैसे भुगतान के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ निर्यातक द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है, क्षेत्रीय प्राधिकारी उपर्युक्त **(i)** और **(ii)** के अन्तर्गत क्षेत्रीय प्राधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कापी प्रस्तुत किए जाने के बाद आवेदनों को प्रोसेस करेंगे।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.52(ख) के अन्तर्गत किए गए निर्यात के लिए और निर्यात जिसमें बैकों द्वारा ईबीआरसी जेनरेट नहीं किया गया है के लिए एमईआईएस लाभों का दावा करने की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th May, 2019

No. 8/2015-20

Subject: Amendment in the Para 3.01(b) of the Handbook of Procedures

F. No. 01/61/180/84/AM19/PC-3.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Para 3.01(b) of the Handbook of Procedures, 2015-20.

Current Para 3.01 (b)	Amended Para 3.01 (b)
(b) An application for claiming rewards under MEIS on exports (other than Export of goods through courier or foreign post offices using e-commerce), shall be filed online, using digital signature, on DGFT website at http://dgft.gov.in with RA concerned in ANF 3A. The relevant shipping bills and e BRC shall be linked with the online application.	(b) An application for claiming rewards under MEIS on exports (other than Export of goods through courier or foreign post offices using e-Commerce) shall be filed online, using digital signature, on DGFT website at http://dgft.gov.in with RA concerned in ANF 3A. The relevant shipping bills and e BRC shall be linked with the online application. **However, if** **i. E-BRC has been generated in INR and payment is under Para 2.52(b) of the FTP, a letter from the concerned bank is required to be submitted to the concerned RA confirming that the payment has been received through Vostro Mechanism,** **or** **ii. The shipment has been made to countries which are in OFAC list and e BRC could not be generated by the concerned bank, a declaration to that effect by the exporter along with a self attested copy of the proof of payment such as Foreign Inward Remittance Certificates/Statements etc is required to be submitted to the RA,**

	The RAs would process the application under (i) and (ii) above, after the required documents are submitted in hard copy to the RAs.

Effect of this Public Notice: Procedure for claiming MEIS benefits for exports realized under Para 2.52 (b) of the FTP and for exports in which e BRC is not generated by banks has been notified.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.05.16 12:29:54 +05'30'